158

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE Re.1 INDIA भारत एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–शाजापुर R 3444-II/14

1. कमलाबाई वैवा रमेशचन्द्र गहलोत,
2. गुड्डीबाई पुत्री रमेशचन्द्र गहलोत,
   समस्त निवासीगण ग्राम पानखेडी तहसील काला पीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री के.के.द्विवेदी अधि. द्वारा आज दि. 10.10.14 को प्रस्तुत
10/10/14
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. हरीप्रसाद पुत्र हजारीलाल गहलोत,
2. अमरसिंह पुत्र हरीप्रसाद गहलोत,
3. बनेसिंह पुत्र हरीप्रसाद गहलोत,
4. लखनसिंह पुत्र हरीप्रसाद गहलोत,
   समस्त निवासीगण ग्राम पानखेडी तहसील काला पीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.)
5. मध्य प्रदेश शासन

.......अनावेदकगण

K.K. Dwivedi
Advs
Gwalior
10/10/14

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ–27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, आवेदकगण व अनावेदकगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम पानखेडी में कुल किता 8 कुल रकवा 2.539 हैक्टेयर हैं। जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण एवं अनावेदकगण के हिस्से एवं मान के अनुसार उनकी सहमति के आधार पर बंटवारा आदेश पारित किया था। बंटवारा फर्दो पर सभी पक्षकारों के सहमति के हस्ताक्षर बने हुए हैं। सहमति बंटवारा उपरान्त उभयपक्ष अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर कृषि कर रहे हैं। किन्तु इसके बावजूद अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार काला पीपल के समक्ष बंटवारा में भूल सुधार किये जाने बावत् धारा 32 के अन्तर्गत पेश किया।

3. यहकि, उपरोक्त आवेदन पत्र को तहसीलदार काला पीपल प्रकरण क्रमांक

(158)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3444-दो/14 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	